

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 24/2022

दुर्गाप्रसाद पुत्र भूराराम, जाति जाट, निवासी ग्रा0पो0 नालपुर, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनू, मो0न0 9571950289
बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील
आदेश

दिनांक 03.02.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 18.01.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 24/2022 पर दिनांक 18.01.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/168-69 दिनांक 18.01.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी ने पत्रांक सू0अ0अ0/21/35 दिनांक 28.01.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री दुर्गाप्रसाद पुत्र भूराराम, जाति जाट, निवासी नालपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही थी। अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन इस कार्यालय में दिनांक 05.03.2021 को प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुओं की सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सू0अ0अ0/21/156 दिनांक 19.03.2021 के द्वारा निर्धारित अवधि में ही उपलब्ध करवा दी गई थी। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/21/35 दिनांक 28.01.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री दुर्गाप्रसाद पुत्र भूराराम, जाति जाट, निवासी नालपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही थी। अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन उनके कार्यालय में दिनांक 05.03.2021 को प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुओं की सूचना अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक सू0अ0अ0/21/156 दिनांक 19.03.2021 के द्वारा निर्धारित अवधि में ही उपलब्ध करवा दी गई थी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 03.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(एल0एस0 कुडी)

जिला कलक्टर, झुंझुनू

जिला कलक्टर झुंझुनू